संख्या-40/2018/367/22-4-18-48(99)/15

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 27 मार्च, 2018

विषय- नवनिर्मित जिला कारागार, चित्रकूट तथा जिला कारागार, लखनऊ में 01-01 नग आर0ओ0 प्लाण्ट की स्थापना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10784/आधु0-1/आर0ओ0, दिनांक 20 मार्च, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-56/2017/772/22-4-2017-48(99)/15, दिनांक-21.09.2017 द्वारा प्रदेश की 13 कारागारों में निरूद्ध बंदियों को शुद्ध पेयजल की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए 2000 लीटर क्षमता के आर0ओ0 प्लाण्ट की स्थापना कराने हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 84,00,000/- में से अवशेष बची धनराशि से नवनिर्मित नवनिर्मित जिला कारागार, चित्रकूट तथा जिला कारागार, लखनऊ में 01-01 नग आर0ओ0 प्लाण्ट की स्थापना रू0 11,19,800/-(रूपया ग्यारह लाख उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की लागत से कराये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) आर0ओ0 प्लाण्ट की स्थापना हेतु निविदा की कार्यवाही के उपरान्त प्रतिष्ठित कम्पनी/फर्मों से प्राप्त न्यूनतम दरों के अनुसार ही कार्य कराया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(3) आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये आर0ओ0 प्लाण्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(4) उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण -पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) आर0ओ0 प्लाण्ट का क्रय करते समय क्रय सम्बन्धी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक अवश्य कर लिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रश्नगत योजना की स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 21.09.2017 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक- 03.08.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-**40**/2018/367(1)/22-4-18-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।